


432

308

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल न्यायालयर कैम्प



C.F.
Rs. 20/-

1929 III/13

भैयाराम तनय शाभनाथ गोडरी निवासी सा० ओडगड़ी,
तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली म०प्र०

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

ता श्री रामनरेश शर्मा

उमुठत
का, दिन 20-11-2012

- बनाम
1- श्रीमती दशमतिया बेबा पत्नी लल्लाराम बैस,
2- रामसुभग तनय लल्लाराम बैस,
3- मु० लल्ली पत्नी रामायण बैसवार,
4- जगतनारायण तनय सियाराम बैस ग्राम-धरसडा,
5- कृपाशंकर तनय स्व० रामायण प्रसाद बैस
6- रमाशंकर तनय रामायण प्रसाद बैस नाबालिंग
7- विमला तनय रामायण प्रसाद बैस नाबालिंग
क्रमांक 5 ता 7 जरिये संरक्षिका मां मु० लल्ली बेबा
रामायण प्रसाद बैस, सभी निवासी ग्राम-ओडगड़ी,
तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली म०प्र०
8- तेजबली तनय राजाराम गोडरी, साकिन-बैद्धन,
तहसील-सिंगरौली, जिला-सिंगरौली म०प्र०

----- अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश
अपर कलेवटर महोदय सिंगरौली
द्वारा प्रकरण 88/निगरानी/11-12
में पारित आदेश दिनांक

19-09-12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता 1959 इ०

मान्यवर,

निगरानी प्रकरण के आधारों को उल्लिखित करने
के पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख
किया जाना आवश्यक है जो निम्न है:-

8/201

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....R.929-III/13.....जिला-(संगराल)

वैधानिक विरुद्ध श्रीमती देखमीत्रा

(1)	(2)	(3)
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>रामराष मिश्रा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी क्लेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>(संगराल)</u> के प्रकरण क्रमांक <u>88/निगरानी/2011-12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>19.09.12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>26.03.19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>सदस्य</u></p>	

8.03.19